न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 97 / 2018
निर्णय दिनांकः– 19.03.2021

उनवान

श्योजीराम पुत्र माग्या जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 15 ख0न0 30 रकबा 1.13 एवं ख0न0 36 रकबा 0.05 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम चक उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी ने तत्कालीन खातेदार उत्तमचन्द पुत्र घासीलाल जाति ब्रहामण निवासी अलीगढ से जरियें रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02.09.1979 को खरीद की थी, जिसके विकय पत्र में प्रार्थी का नाम श्योजी पुत्र माग्या दर्ज हैं तथा उसका नामान्तकरण भी श्योजीराम पत्रु माग्या के नाम से भरा जा चुका था । वर्ष 2005 मे राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से माग्या के स्थान पुत्र मोत्या दर्ज कर दिया गया है।

प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम **माग्या** है जो कि आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र की प्रति , राशन कार्ड, इत्यादि में अंकित है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम **माग्या** अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 15 ख0न0 30 रकबा 1.13 एवं ख0न0 36 रकबा 0.05 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम चक उखलाना में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से माग्या के स्थान पर **मोत्या** अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम **माग्या** है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम **माग्या** के स्थान पर सहवन से **मोत्या** दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 15 ख0न0 30 रकबा 1.13 एवं ख0न0 36 रकबा 0.05 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम चक उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक मे प्रार्थी के पिता का नाम **मोत्या के स्थान पर माग्या** अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

s.136.121

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम खाता संख्या 15 ख0न0 30 रकबा 1.13 एवं ख0न0 36 रकबा 0.05 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम चक उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम **श्योजीराज पुत्र मोत्या** खातेदारी के रूप में दर्ज हैं।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम खाता संख्या 15 ख0न0 30 रकबा 1.13 एवं ख0न0 36 रकबा 0.05 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम चक उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम **श्योजीराज पुत्र मोत्या** खातेदारी के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम **माग्या** है। जिससे प्रार्थी के पिता का नाम **योजीराम पुत्र मोत्या के स्थान** पर **श्योजीराम पुत्र माग्या** किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त आराजीयात खाता संख्या 15 ख0न0 30 रकबा 1.13 एवं ख0न0 36 रकबा 0.05 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम चक उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज श्योजीराम पुत्र मोत्या के स्थान पर श्योजीराम पुत्र माग्या दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
~~उपखण्ड अधिकारी उनियारा~~
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

s.136.122